Other proposals for the development infrastructure, include building up of 7,000 KM road corridor connecting Kashmir to Kanyakumari and Silichar to Saurashtra, construction of five world class international airports, a new Internet policy and formulation of new telecom policy to provide state-of-the-art nation-wide telecommunication network and speed up rural telephone services.

बैंकों /सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण

32.**श्रीमती सरोज दुबे**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षो के दौरान,वर्ष –वार तथा 1998 में आज तक वाणिज्यिक बैंकों,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा राज्य-वार कितना-किना कृषि ऋण दिया गया ;और

(ख) किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण की राशि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं /उठाये जाने का विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय बैंकिग,राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि एंव संबंद्व क्षेत्रों के तहत वितरित बुनियादी स्तर के कुल ऋणों में वर्ष 1995-96 में 22032 करोड़ रू.की वृद्वि हुई तथा वर्ष 1996-97 के दौरान इन ऋण में और वृद्वि हुई एंव ये ऋण 26411 करोड़ रूपए के हो गए जिससे वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमश: 18% और 20% की वार्षिक वृद्वि दर्ज की गई । वर्ष 1997-98 के दौरान बुनियादी स्तर के ऋणों के 30976 करोड़ रूपए (अनन्तिम) तक पहुंचने का अनुमान है । वर्ष 1995-96,1996-97 तथा 1997-98 (अनन्तिम) के दौरान कृषि के एजेंसी –वार ब्यौरे निम्नलिखित है :-

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1995-96	10,172	10,479	1,381	22,032
1996	12,783	11,944	1,684	26,411
1997-98 (अनन्तिम)	14,462	14,339	2,175	30,976
वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल

राज्य-वार ब्यौरे संलग्र विवरण में दिए गए हैं (**नीचे देखिए**)

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं,जिनमें,अन्य बातों के साथ-साथ,सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुन: अर्थक्षम बनाना,नाबार्ड की शेयर पूंजी तथा क्षमता बढ़ाना,ऋण सीमाओं में वृद्वि एंव स्व-सहायता समूह संयोजना बढ़ाना शामिल है । भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उपगर्वनर श्री आर.वी.गुप्ता की एक सदस्यीय समिति ने संवितरण प्रणाली और साथ ही कृषि ऋण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उपाय सुझाए थे । आर.वी.गुप्ता समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है,जिनमें ऋण आवेदन-पत्रों से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रतयायोजन कृषि कार्य करने वाले किसानों के लिए संमिश्र ऋण सीमा शुरू करना,बचत संघटकों सहित नए ऋण उत्पाद शुरू करना,ऋणों का नकद संवितरण,10,000/- रूपए से अधिक के कृषि ऋणों हेतु मार्जिन प्रतिभूति अपेक्षाओं से संबंधित मामलों में बैंकों का स्वनिर्णय तथा अनिवार्य अपेक्षा के रूप में "अदेयता प्रमाण-पत्र" से छूट देना शामिल है ।

विवरण

वर्ष 1995-96,1996-98 **तथा** 1997-98 **(अनुमानित) के दौरान कृषि के लिए बुनियादी स्तर के ऋण (जी एल सी) का राज्य-वार प्रवाह**

(करोड़ रू.)

स.	राज्य-संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1995-97	1997-98*
1.	अ.नि.द्वीप समूह	0.87	1.89	4.46
2.	आंन्ध्र प्रदेश	3082.61	3685.00	4156.06
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.97	5.56	4.72
4.	असम	32.07	38.85	50.94
5.	बिहार	366.70	454.29	567.81
6.	चण्डीगढ़	49.60	30.57	13.22
7.	दादरा व न.हवेली	0.37	0.56	0.45
8.	दमन व दीव	0.55	0.76	1.06
9.	गोवा	32.28	26.53	39.91
10.	गुजरात	1491.01	1891.54	2269.79
11.	हरियाणा	1510.56	1821.68	1941.86
12.	हिमाचल प्रदेश	71.67	85.15	108.36
13.	जम्मू व कश्मीर	16.66	21.50	34.72
14.	कर्नाटक	1685.50	1885.94	2464.17
15.	केरल	941.80	1333.21	1671.90
16.	लक्षद्वीप	3.36	0.43	0.33
17.	मध्य प्रदेश	1308.50	1660.29	2024.97
18.	महाराष्ट्र	2729.60	2813.69	3516.55
19.	मणिपुर	1.91	4.36	4.14
20.	मेद्यालय	3.98	3.69	7.32
21.	मिजोरम	1.15	3.55	2.74
22.	नागालैंड	3.25	4.37	5.97
23.	रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	82.21	90.36	64.65
24.	उड़ीसा	416.41	450.69	608.92
25.	पांडिचेरी	41.50	24.05	33.34
26.	पंजाब	1959.00	2395.12	2696.78
27.	राजस्थान	876.75	1107.93	1215.54
28.	सिक्किम	0.98	2.44	2.45
29.	तमिलनाडु	2487.80	2926.11	3614.48
30.	त्रिपुरा	6.83	13.98	13.97
31.	उत्तर प्रदेश	2231.18	2560.77	3078.21
32.	प.बंगाल	597.80	733.77	756.33
	कुल	22032.43	26411.32	30976.12

* अनुमानित